प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, एसयू उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022 प्र.इ.रि.स 119/2023 दिनांक 12/5/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट – धाराएं 7, पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं – 120 बी भा.दं.सं.
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 258 समय 9:15 P.M.
   (2) अपराध के घटने का दिन गुरूवार दिनांक 11.05.2022 समय 5:44 पी.एम
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.05.2023 समय करीब 01:20 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल :
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग **435** किलोमीटर
   (2) पता – पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर के बाहर स्थित शिवशक्ति टायर पंचर एण्ड ग्रीस सर्विस।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   परिवादी

   (1) नाम : – श्री प्रकाश चन्द्र
   (2) पिता का नाम : – श्री वरदीचन्द तेली
   (3) आयु : – 35 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : –भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि.....जारी होने की जगह.....
   (6) व्यवसाय : – नौकरी
   (7) पता : – **1– निवासी ग्राम बुझडा, पुलिस थाना नाई तहसील गिर्वा जिला उदयपुर**
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :

   1 श्री मनोहरलाल पुत्र स्व0 श्री मगनलाल मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी रायणा फला ऋषभदेव जिला उदयपुर हाल एएसआई पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर एवं

   2 श्री शिवलाल जाट पुत्र श्री कन्हैयालाल जाट उम्र 35 वर्ष निवासी खारा कुई बलीचा पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	35000 रूपये	

आरोपी 1 श्री मनोहरलाल एएसआई पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर एवं उसके दलाल 2 श्री शिवलाल जाट द्वारा पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 99/2023 में परिवादी के पिता एवं भाई की मदद कर एफआर देने दलाल श्री शिवलाल के मार्फत रिश्वत राशि 35000 ग्रहण करना

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 35000
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 09.05.2023 को समय करीब 01:20 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उनके कक्ष बुलाकर कर उनके समक्ष बैठे परिवादी श्री प्रकाश चन्द तैली पुत्र श्री वरदी चन्द जी उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम बुझडा, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर से परिचय करा श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2023 सुपुर्द कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। जिस पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र को मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष में लेकर आया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि '' मैनें अम्बामाता पुलिस थाना उदयपुर में प्रकरण संख्या 192/2022 धारा 420, 406 में अंजली किन्नर उर्फ शांतिलाल मीणा निवासी डूँगरपुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था जिसमे उसकी गिरफ्तारी हुई जेल गया उस पत्रावली का अनुसंधान शिकायत के आधार पर अन्य थाने पर दी गई। मेरे पापा वरदीचंद जी ओर मेरा भाई किशनलाल तैली को धोखे ओर बहलाने फुसलाने के लिये ओम बन्ना कॉलानी के उधर राजीनामे के लिये और धोखाधडी के रूपये गहने वापस देने के लिये बुलाया। मेरे पापा भाई वहां चले गये तो उन्होने कमरे में बन्द करके मारपीट की उसी समय गोवर्धन विलास थाना के पुलिस एएसआई श्री मनोहर के साथ षडयंत्र कर तुरंत ही बुला लिया जिन्होने मेरे भाई ओर पिताजी को 151 में पाबन्द कराया तथा मेरे पिताजी एवं मेरे भाई के विरूध 452,354 में झुठा मुकदमा दर्ज करवा लिया। इस मुकदमें की तफ्तीश श्री मनोहर बरगट कर रहे है। मनोहर जी इस मामले में एफआर लगाने के लिये मुझसे एक लाख रूपये मांग रहे है। मैं रिश्वत नही देना चाहता हूं। मेरी मनोहर जी से कोई दुश्मनी या कोई बकाया लेनदेन व्यापार या उधार नही है। मैं इन्हे रंगे हाथों रिश्वत के मामले पकडवाना चाहता हूं। कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के संबंध में मजीद पुछताछ की तो उसके द्वारा शब्द-ब-शब्द सत्य होकर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया होने संबंधी ताईद की गई। जिस पर मामला रिश्वत राशी मांग एवं लेनदेन का होकर भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में वर्णित अपराध की परिधि में होना पाया जानें पर अग्रिम कार्यवाही हेतु रिश्वत राशी मांग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया तथा परिवादी को मांग सत्यापन करवाया जानें हेतु अवगत किया। समय करीब 01:40 पीएम पर कार्यालय की आलमारी से सोनी कंपनी का डिजिटल वॉईस रिकार्डर मय रिक्त मेमोरी कार्ड 32 जीबी सेन्डिस्क मंगवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को वॉईस रिकार्ड के संचालन एवं रिकार्डिग की विधि की समझाईस की गई। जिस पर परिवादी ने बताया कि श्री मनोहर जी मेरे मोबाईल पर वार्ता कर लेते है। समय करीब 01:51 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के मोबाईल नंबर 8005510500 से एएसआई श्री मनोहर लाल के मोबाईल नंबर 9001487415 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड करा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए वार्ता करवाई। वार्ता के दौरान परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा एएसआई श्री मनोहरलाल से किसी ओमप्रकाश द्वारा डेढ लाख रूपयें के संबंध में कहा तो श्री मनोहर लाल द्वारा परिवादी से कहा कि आप जो कह रहे हो उससे कई गुना कम कर दुंगा आप याद करोंगे आप आकर मिलों। तत्पश्चात समय करीब 02:00 पीएम पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड करा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए पुनः वार्ता करवाई। दोनो मोबाईल वार्ता से यह पाया गया कि संदिग्ध एएसआई रिश्वत राशि मांग की मंशा रखता है। जिस पर संदिग्ध एएसआई से परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के रूबरू रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया गया। परिवादी को एएसआई के पास जाकर रूबरू वार्ता करने हेतु बताया तो परिवादी ने कहा आज उसके रिश्तेदारी में शादी समारोह होने से एएसआई साहब से वार्ता करनें जाना संभव नहीं है। जिस पर परिवादी को अगले दिन दिनांक 10.05.2023 को समय करीब 11:30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने पाबंद कर रूकसत किया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा। दिनांक 10.05.2023 को समय करीब 11:40 एएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र कार्यालय में उपस्थित हुआ। जिसे कार्यालय कक्ष में बिठाया गया तथा कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकार्डर मंगवाया गया। समय करीब 12:01 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के मोबाईल नंबर 8005510500 से एएसआई श्री मनोहर लाल के मोबाईल नंबर 9001487415 पर परिवादी के

मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड करा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए वार्ता करवाई तो एएसआई श्री मनोहरलाल द्वारा परिवादी को कहा कि ''**फाईव जीरो कर देना**'' तथा परिवादी ने श्री मनोहरलाल से कहा कि मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा हुँ। उक्त वार्ता से एएसआई द्वारा रिश्वत मांग करना सत्यापित पाया गया। समय करीब 12:45 पीएम पर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक को मन् पुलिस निरीक्षक के कक्ष मे बुलाकर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र से परिचय करा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डिंग कर लाने हेतु परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर श्री विनोद कुमार को मोटरसाईकिल से परिवादी की कार से परिवादी के पीछे-पीछे रवाना किया गया। समय करीब 02:00 पीएम पर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र उपस्थित हुए। परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि कार्यालय से रवाना होकर मैं और विनोद जी पुलिस थाना गोवर्धन विलास थाने से थोडी दुर पहले रूके तथा विनोद जी वही पर रूके और मैं वॉईस रिकार्डर चालु कर पुलिस थाने के अन्दर गया जहां श्री मनोहर जी एएसआई मिले। जो मुझे लेकर थाने के बाहर रोड पर चाय की स्टाल पर लेकर गये। जहां श्री मनोहर जी ने मुझसे मेरे पापा एवं भाई के खिलाफ गोवर्धन विलास थानें पर दर्ज प्रकरण में एफआर लगानें की एवज में 50000 रूपयें की मांग की और मेरे द्वारा अनुनय विनय करने पर एएसआई साहब 35000 रूपयें लेने को राजी हुए। जिसकी वार्ता को मैने वॉइस रिकार्डर में रिकार्ड किया तथा वॉईस रिकार्डर को बंद कर विनोद जी के पास गया तथा वहां से हम दोनों रवाना होकर इस समय आपके पास उपस्थित हुए है। परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र द्वारा बताये गये तथ्यों के बारें में श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा पुष्टि की गई। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकार्डर चलाकर सुना तो परिवादी से संदिग्ध एएसआई द्वारा रिश्वत राशि मांग करना सत्यापित पाया गया। जिस पर दो स्वंतत्र गवाहान की तलबी हेतु नगर विकास प्रन्यास के नाम तहरीर जारी कर श्री राजेश कुमार कानि0 को तलब कर तहरीर देकर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर पर रवाना किया गया। समय करीब 03:00 पीएम पर श्री राजेश कुमार के साथ नगर विकास प्रन्यास से दो स्वंतत्र गवाहान श्री महेन्द्र बर्फा पुत्र श्री मांगीलाल बर्फा उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम भावी, सुभाष चौक, तहसील बिलाडा पुलिस थाना बिलाडा जिला जोधपुर हाल सहायक अभियंता नगर विकास प्रन्यास उदयपुर एवं श्री विजय शंकर पुत्र श्री निलकण्ठ शर्मा उम्र 54 वर्ष निवासी मकान नंबर 30, ए ब्लॉक मीरा नगर भुवाणा जिला उदयपुर हाल वरिष्ठ सहायक नगर विकास प्रन्यास उपस्थित हुए। जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर सरकारी स्वंतत्र गवाह के रूप में उपस्थित रहने हेतु स्वीकृति चाही गई तो गवाह द्वारा अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की। जिस पर परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र से गवाह का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 09.05.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी द्वारा शब्द-ब-शब्द सही होकर स्वंय की हस्तलिपि में लिखा होना सत्यापित किया जाने पर दोनों गवाह के प्रार्थना पर हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं एएसआई श्री मनोहर लाल के मध्य दिनांक 09.05.2023 एवं दिनांक 10.05.2023 को मोबाईल पर एवं रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को बारी-बारी चलाकर सुनाया गया तो दोनो गवाह ने एएसआई द्वारा रिश्वत राशि मांग करने की पुष्टि की। समय करीब 03:30 पीएम पर परिवादी से रिश्वत राशि व्यवस्था करनें हेतु पुछा तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास रूपयें की व्यवस्था नहीं हुई है और एएसआई श्री मनोहर जी को मैंने एक दो दिन में रूपयें की व्यवस्था कर देने हेतु कहा था तो उन्होंने सहमति प्रदान की और रिश्वत राशि पुलिस थाने के बाहर भेरूनाथ चाय के स्टाल पर देने हेतु कहा था। मैं कल दिनांक 11.05.2023 तक रूपयें की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर स्वतंत्र गवाह को मामलें में गोपनीय बरतने की हिदायत देकर दिनांक 11.05.2023 को समय करीब 11:00 बजे उपस्थित होने हेतु पाबंद कर रूकसत किया गया तथा परिवादी को भी इस अनुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था कर समय करीब 11:00 एएम पर उपस्थित होने की हिदायत दी जाकर रूकसत किया। दिनांक 11.05.2023 को समय करीब 11:00 एएम पर पाबंदशुदा स्वंतत्र गवाहान श्री महेन्द्र बर्फा एवं श्री विजय शंकर उपस्थित हुए जिन्हें कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात समय करीब 12:30 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र कार्यालय में उपस्थित हुआ तथा बताया कि मुझे रिश्वत राशि की व्यवस्था करनें में

समय लगा इसलिये थोडा विलंब से उपस्थित हुआ हुँ। जिस पर समय करीब 12:40 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं एएसआई श्री मनोहर लाल के मध्य दिनांक 09.05.2023 एवं दिनांक 10.05.2023 को मोबाईल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट बारी–बारी से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चलाकर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से मुर्तिब करवाया जाना प्रारम्भ किया गया। तत्पश्चात समय करीब समय 01:40 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं एएसआई श्री मनोहर लाल के मध्य दिनांक 09.05.2023 एवं दिनांक 10.05.2023 को मोबाईल पर हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट बारी–बारी से मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहानों के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चलाकर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से मुर्तिब करवाया जाना समाप्त किया गया तथा मोबाईल पर हुई मांग सत्यापन वार्ताओं की एक मूल एवं एक मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति की सीडी डब कराकर तैयार करवाई गई। फर्द टांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क ''ए'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई। समय करीब 01:50 पीएम पर स्वंतत्र गवाह श्री महेन्द्र बर्फा एवं श्री विजय शंकर के समक्ष मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र से मांगने पर परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के 17 एवं 500–500 रूपयें के 02 नोट कुल 35000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के निकालकर प्रस्तुत किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1.	500 रुपये का एक नोट	5 PM 906863
2.	500 रुपये का एक नोट	3 VE 588323
3.	2000 रुपये का एक नोट	7 MC 296422
4.	2000 रुपये का एक नोट	8 EN 488353
5.	2000 रुपये का एक नोट	6 FS 698034
6.	2000 रुपये का एक नोट	4 FR 259544
7.	2000 रुपये का एक नोट	7 DU 338963
8.	2000 रुपये का एक नोट	1 AR 061549
9.	2000 रुपये का एक नोट	1 GL 112368
10.	2000 रुपये का एक नोट	0 BH 481019
11.	2000 रुपये का एक नोट	4 BE 506042
12.	2000 रुपये का एक नोट	8 CT 556465
13.	2000 रुपये का एक नोट	9 EC 079427
14.	2000 रुपये का एक नोट	2 GW 285076
15.	2000 रुपये का एक नोट	8 EF 096404
16.	2000 रुपये का एक नोट	9 FD 462259
17.	2000 रुपये का एक नोट	3 ER 809323
18.	2000 रुपये का एक नोट	0 BN 802319
19.	2000 रुपये का एक नोट	3 DW 094054

उपरोक्त प्रस्तुत नोटो का मिलान स्वंतत्र गवाहान से करवाया गया तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी कानि0 श्री दिनेश कुमार से मंगवाई जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 35000 रूपयें के नोटो के दोनों ओर फिनोफथलीन पाउडर श्री दिनेश से लगवाया गया। परिवादी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र बर्फा से लिवाई गई जिसमें मोबाईल के अलावा कोई अन्य वस्तु नहीं छोडी जाकर फिनोफ्थेलीन लगे हुए नोटों को परिवादी की पहनी हुई पेन्ट के आगे की बांयी जेब में कुछ शैः न छोड़ते हुए श्री दिनेश से मुनासिब हिदायत के रखवाये गये तथा फिनोफ्थेलीन पाउडर की शीशी को पुनः आलमारी में कानि0 दिनेश से ही सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात श्री भारतसिंह कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में

कानि0 श्री दिनेश कुमार की अंगुलियों व अंगुठे जिन पर फिनॉफथलीन पाउडर लगा हुआ है, को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी जैसे ही परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोलफ्थेलीन पाउडर उसकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उनके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो धोवन का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी धोवन को कानि0 श्री दिनेश कुमार से बाहर नाली में फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलासो को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री मनोहरलाल एएसआई को उनकी मांग अनुसार 35000 रूपयें रिश्वती राशि मांगने पर ही देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे एवं रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री भारतसिंह से दुबारा साफ पानी व साबुन से धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों के भी हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये एवं परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी एवं मन् पुलिस निरीक्षक की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाहों से लिवाई तथा स्वतंत्र गवाहों के आपस में एक दूसरें से जामा तलाशी लिवाई गई जिसमें विभागीय पहचान पत्र तथा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात परिवादी को हिदायत दी कि आरोपी के रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक को देखकर सिगरेट पीने का ईशारा निर्धारित करे। तत्पश्चात यह निर्धारित ईशारा स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरों टीम को समझाया गया। तत्पश्चात श्री प्रकाशचन्द्र को डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड रिश्वत लेनदेन की वार्ता की रिकार्डिंग हेतु डिजिटल वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि पुनः समझाईस कर पेंट की आगे की दायीं जेब मे रखवाया जाकर सुपुर्द किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02:30 पीएम पर श्री सुरेश कुमार कानि0 भ्र0नि0 ब्यूरों चौकी इमदाद हेतु कार्यालय भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर पर उपस्थित हुआ। तत्पश्चात समय 02:40 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्र बर्फा, श्री विजय कुमार, ब्यूरों टीम श्री सुरेश कुमार एएसआई मय ट्रेप बॉक्स, श्री प्रदीप कुमार कानि0 मय प्रिन्टर लेपटॉप, श्री भारतसिंह, श्री सुरेश कुमार कानि0, श्री लालसिंह है0का0 अन्य आवश्यक संसाधन तथा श्री विनोद कुमार कनिष्ठ लिपिक के जरिये प्राईवेट टेक्सी कार, एवं निजी मोटरसाईकिल के तथा परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र मय डिजिटल वॉयस रिकार्डर, जरिये निजी वाहन के कार्यालय एसीबी एसयू उदयपुर से रवाना होकर समय करीब 3:10 पीएम पर पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर के बाहर चाय के स्टॉल से कुछ दुरी पहले पहुँचकर रूके तथा आरोपी मनोहरलाल के कहे अनुसार पुलिस थाना गोवर्धन विलास के बाहर स्थित चाय की स्टॉल पर रवाना किया जो लगभग 10 मिनिट बाद पुनः मन् पुलिस निरीक्षक के पास उपस्थित हुआ तथा वॉईस रिकार्डर बंद कर मुझे सुपुर्द किया तथा बताया कि ''मैं श्री मनोहरलाल जी के बताये अनुसार भेरूनाथ चाय की स्टॉल पर पहूँचा जहां चाय की स्टॉल बंद होने से मैं पुलिस थाना गोवर्धन पर गया और मनोहर लाल जी के बारें में पुछा तो संतरी ने बताया कि उनकी रात्रि ड्यूटी होने से वो शाम को थाने पर आयेंगे। इसलिए मैं वापस आपके पास आ गया''। जिस पर समय करीब 05:29 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के मोबाईल नंबर 8005510500 से एएसआई श्री मनोहर लाल के मोबाईल नंबर 9001487415 पर परिवादी के मोबाईल का स्पीकर लाउड मोड करा डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड करते हुए वार्ता करवाई जिसमें परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र ने श्री मनोहरलाल से कहा कि भेरूनाथ चाय स्टॉल तो बंद है जिस पर एएसआई श्री मनोहरलाल द्वारा परिवादी को कहा

कि तुम भेरूनाथ चाय की स्टॉल के पास टायर पंचर की दुकान पर दे दो मैं कमरे पर हुँ। आरोपी एएसआई जो कि पुलिस लाईन स्थित उसके सरकारी आवास पर होने से आवश्यक निगरानी हेतु श्री लालसिंह हैड कानि0, श्री प्रदीप कुमार कानि. एवं श्री भारतसिंह कानि0 को पुलिस लाईन उदयपुर के लिए रवाना किया तथा समय करीब 05:42 पीएम पर परिवादी को रिश्वत राशि के साथ डिजिटल वॉईस रिकार्डर चालु कर भेरूनाथ चाय की स्टॉल के पास स्थित टायर पंचर की दुकान लिए रवाना कर उसके पीछे-पीछे मन् पुलिस निरीक्षक एवं गवाह, श्री सुरेश कुमार एएसआई, श्री सुरेश कुमार कानि. एवं श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक भेरूनाथ चाय की स्टॉल के समीप शिवशक्ति टायर पंचर एण्ड ग्रीस सर्विस की दुकान के आसपास छुपाव हासिल कर खडे रहे थे, कि समय करीब 05:45 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने दुकान के बाहर आकर सिगरेट जलाकर पीने का पूर्व निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीन के तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुँचे तो परिवादी ने वॉईस रिकार्डर बंद कर मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया तथा बताया कि अभी-अभी दुकान के अन्दर बैठे उक्त व्यक्ति ने मुझसे श्री मनोहर लाल एएसआई के कहे अनुसार 35000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण कर अपने हाथों से गिनकर हाथ में ही पकड रखें है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना एवं हमराहीयान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री शिवलाल जाट पुत्र श्री कन्हैयालाल जाट उम्र 35 वर्ष निवासी खारा कुई बलीचा पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर होना बताया। जिसे परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र से ग्रहण किये गये 35000 रूपये रिश्वत राशि के बारें में पुछा तो बताया कि पुलिस थाना गोवर्धन विलास के एएसआई श्री मनोहरलाल जी के मोबाईल नंबर 9001487415 से कुछ मिनिट पहले मेरे मोबाईल नंबर 9571214605 पर कॉल आया तथा कहा कि एक प्रकाशचन्द्र आ रहा है जो 35000 रूपयें देगा वो तुम रख लेना इसलिए ये रूपयें मैंने इनसे लिये है और मनोहर लाल जी ने कहा कि रूपयें आ जाने के बाद मुझे सिर्फ एक बार कॉल करना उसके बाद किसी के भी कहने से मुझे कोई कॉल मत करना। श्री शिवलाल को एएसआई श्री मनोहरलाल के कहां होने के बारें में पुछने पर बताया कि वो अभी पुलिस लाईन के क्वाटर पर है। फिर उसने बताया कि मैं मनोहरलाल जी को काफी समय से जानता हूँ जो किसी से इसी प्रकार रूपयें लेने हेतु मुझे कहते है इसके अलावा थाने के कई दुसरें स्टाफ वालों के भी पैसे उनके कहे अनुसार मैं लेकर उनकों दे देता हुँ। श्री शिवलाल के मोबाईल को लेकर मन् पुलिस निरीक्षक ने अवलोकन किया तो श्री मनोहरलाल एएसआई के मोबाईल नंबर से श्री शिवलाल के मोबाईल नंबर पर समय करीब 05:31 पीएम पर इनकमिंग कॉल आना तथा समय करीब 05:44 पीएम पर शिवलाल के मोबाईल से आरोपी एएसआई मनोहरलाल के मोबाईल पर आउटगोईंग कॉल जाना पाया गया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने मोबाईल से श्री शिवलाल के मोबाईल के कॉल लॉग का फोटो लिया। जिसका बाद में प्रिन्ट लिया जाकर शामिल पत्रावली किया जायेगा। आरोपी श्री शिवलाल के हाथों में पकड रखी रिश्वत राशि को गवाह श्री महेन्द्र बर्फा से लिवायी जाकर गिनवाया तो 500-500 रूपयें के 02 नोट एवं 2000-2000 रूपयें के 17 नोट कुल 35000 रूपयें होना पाये गये जिन्हें गवाह श्री महेन्द्र बर्फा के पास सुरक्षित रखवाये गये। चूंकि मुख्य आरोपी श्री मनोहरलाल के भागनें की आशंका होने से उसकी तलाश में पुरी टीम के साथ व्यस्त हुआ। तत्पश्चात आरोपी श्री मनोहर लाल के उसके पुलिस लाईन स्थित क्वाटर पर होना ज्ञात आने से श्री लालसिंह हैड कानि0, श्री प्रदीप कुमार एवं श्री भारतसिंह जिन्हें आरोपी मनोहर लाल के क्वाटर के बाहर पूर्व से ही मुकिम रखा उन्हें जरिये मोबाईल संपर्क किया तो श्री प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी श्री मनोहरलाल उसके क्वाटर से अभी-अभी निकला है और हम उसकी तलाश करते हुए गोवर्धन विलास की तरफ ही आ रहे है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक आरोपी दलाल शिवलाल को साथ लेकर सेक्टर 14 चुंगी नाके की तरफ रवाना हुआ तथा चुंगी नाके पर खडा ही रहा था कि श्री मनोहरलाल चुंगी नाके के चौराहे पर वर्दी में स्कूटी से पुलिस थाना गोवर्धन विलास की तरफ जाता हुआ नजर आया जिस पर उसका पीछा कर सरस डेयरी के सामनें उसे रोका तथा श्री मनोहरलाल की स्कूटी को साईड में खडा करवाकर मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं एवं हमराहीन का परिचय देकर उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री मनोहरलाल पुत्र स्व0 श्री मगनलाल मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी रायणा फला ऋषभदेव जिला

उदयपुर हाल एएसआई पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर होना बताया। आरोपी श्री मनोहरलाल बावर्दी होकर उसके नाम की नेम प्लेट लगी हुई होना पाया गया। जिस पर वाहन में बैठे श्री शिवलाल की तरफ ईशारा कर पुछा तो कि आप इसे जानते है तो श्री मनोहरलाल ने सिर नीचा कर दिया और हाथ जोडकर कहनें लगा कि मुझे माफ कर दो साहब एक बार छोड दो आयन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जिस पर दलाल श्री शिवलाल को मनोहर लाल के बारें में पुछा तो वह मनोहर लाल पर चिल्लानें लगा कि आपके कारण मैं फंस गया मेरा क्या दोष है। इसी समय श्री प्रदीप कुमार एवं श्री भारतसिंह कानि0 मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। जिस पर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही आरोपी श्री मनोहर लाल एवं श्री शिवलाल को लेकर गोवर्धन विलास पुलिस थाने पर रवाना हुआ तथा आरोपी श्री मनोहर लाल की स्कूटी श्री भारतसिंह को लेकर पुलिस थाने पर आने हेतु कहा। पुलिस थाना गोवर्धन विलास पर पहुँच डीओ को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर मनोहरलाल के विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु अवगत किया तो श्री देवेन्द्र पुरी एएसआई डीओ द्वारा एक कक्ष उपलब्ध करवाया गया। श्री भारतसिंह द्वारा आरोपी श्री मनोहरसिंह की स्कूटी एवं उसकी चाबी डीओं श्री देवेन्द्र पुरी को सुपुर्द की। तत्पश्चात आरोपी श्री मनोहरलाल के कहे अनुसार आरोपी दलाल श्री शिवलाल जाट द्वारा परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र से ग्रहण की गई रिश्वती राशि की सत्यता जानने हेतु साथ लाये गये ट्रेप बॉक्स को श्री सुरेश कुमार एएसआई से मंगवाया। ट्रेप बॉक्स में से दो साफ कांच की गिलास गवाह श्री विजय शंकर से निकलवाई जाकर दोनों गिलास में पुलिस थाने में उपलब्ध पीने का पानी मंगवाया जाकर गवाह श्री विजय शंकर से दोनो गिलास में साफ पानी भरवाया गया तथा दोनों गिलास में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डलवाकर हिलाया गया तो दोनो गिलास का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात उक्त सोडियम कार्बोनेट के घोल के एक गिलास में आरोपी श्री शिवलाल के दाहिनें हाथ की अंगुलिया एवं अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क आर.एच. –1 व आर.एच.–2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी के बांये हाथ की अगुलियों व अगूंठे को दूसरे कांच के गिलास के घोल में डूबोकर धुलवाई गई तो धोवन का रंग भी गुलाबी हुआ। जिसे उपस्थित गवाहान ने स्वीकार किया इस धोवन को दो साफ कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर शीशियों को सिलचिट कर मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 से चिन्हित कर चिट व कपड़े पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात गवाह श्री महेन्द्र बर्फा के पास सुरक्षित रखवाई गई रिश्वत राशि को गिनवाया गया तो 500–500 रूपयें के 02 नोट एवं 2000–2000 रूपयें के 17 नोट कुल 35000 रूपयें का मिलान दोनो स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में मुर्तिब की गई फर्द पेशकसी नोट से करवाया गया उपस्थित के समक्ष हुबहू निम्नानुसार होना पाया गया।

क0सं0	नोट का विवरण	नोट का नम्बर
1	500 रुपये का एक नोट	5 PM 906863
2	500 रुपये का एक नोट	3 VE 588323
3	2000 रुपये का एक नोट	7 MC 296422
4	2000 रुपये का एक नोट	8 EN 488353
5	2000 रुपये का एक नोट	6 FS 698034
6	2000 रुपये का एक नोट	4 FR 259544
7	2000 रुपये का एक नोट	7 DU 338963
8	2000 रुपये का एक नोट	1 AR 061549
9	2000 रुपये का एक नोट	1 GL 112368
10	2000 रुपये का एक नोट	0 BH 481019
11	2000 रुपये का एक नोट	4 BE 506042
12	2000 रुपये का एक नोट	8 CT 556465
13	2000 रुपये का एक नोट	9 EC 079427
14	2000 रुपये का एक नोट	2 GW 285076
15	2000 रुपये का एक नोट	8 EF 096404
16	2000 रुपये का एक नोट	9 FD 462259
17	2000 रुपये का एक नोट	3 ER 809323

18	2000 रुपये का एक नोट	0 BN 802319
19	2000 रुपये का एक नोट	3 DW 094054

तत्पश्चात आरोपी दलाल श्री शिवलाल से बरामद हुई रिश्वत राशि 35000 रूपयें को एक कागज की चिट लगाकर सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करा कब्जे ब्यूरों लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री मनोहरलाल से परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र के विरूद्ध पुलिस थाना गोवर्धन विलास पर दर्ज प्रकरण के बारें में पुछा तो उसने बताया कि श्री प्रकाश चन्द्र के पिता श्री वरदीचन्द जी एवं उसके भाई श्री किशनलाल तेली के विरूद्ध पुलिस थाना गोवर्धन विलास पर प्रकरण संख्या 99/2023 जुर्म धारा 452, 354 एवं 323 भा0दं0सं0 में दर्ज होकर उसका अनुसंधान मेरे पास है। जिस पर प्रकरण की पत्रावली डीओ श्री देवीलाल एएसआई से मंगवाई जाकर उक्त पत्रावली का अवलोकन किया तो आरोपी श्री मनोहरलाल द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हुई जिस पर डीओ श्री देवीलाल से उक्त पत्रावली की सत्यापित प्रति करा जब्त कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात आरोपी श्री मनोहरलाल को रिश्वत राशी 35000 रूपयें के बारें में पुछा तो उसने कहा कि श्री प्रकाशचन्द्र जी मेरे पास कल आये थे जिन्होंने उनके पिताजी और भाई के खिलाफ इस प्रकरण में मदद करनें के लिए मुझे खुशी से रूपयें देने हेतु कहा था। जिस पर पास में खडे परिवादी श्री प्रकाशचन्द्र ने बताया कि श्री मनोहरलाल जी झुठ बोल रहे है इन्होंने मेरे पिताजी एवं भाई कि खिलाफ दर्ज मुकदमें में मदद करने के नाम पर वकील ओमप्रकाश प्रजापत के मार्फत 150000 रूपयें की रिश्वत राशि की मांग की थी मैं जब मनोहरलाल जी से मिला तो इन्होंने रिश्वत राशि कम करते हुए 50000 रूपयें लेने हेतु सहमत हुए तथा मेरी व्यवस्था अनुसार 35000 रूपयें की रिश्वत राशि इनके कहने पर मैंने पुलिस थानें के बाहर टायर पंचर की दुकान पर श्री शिवलाल जाट को दिये थे। जिस पर श्री शिवलाल से पुछा तो उसने परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद कर श्री मनोहरलाल के कहे अनुसार परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र से 35000 रूपयें रिश्वत राशि ग्रहण किया जाना स्वीकर किया। उक्त पृष्ठ पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरों लिया जाकर जब्त किया गया। उपर्युक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर नमूना सील अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय करीब 07:00 पीएम पर श्री लाल सिंह हेड कानि एवं श्री दिनेश कुमार कानि0 तलबिदा पुलिस थाना गोवर्धन विलास पर उपस्थित आये। समय करीब 7.05 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं एएसआई श्री मनोहर लाल के मध्य दिनांक 10.05.2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहानों आरोपीगणो के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चलाकर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से मुर्तिब करवाया जाना प्रारम्भ किया गया। समय करीब 8.10 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं आरोपी श्री मनोहरलाल के मध्य दिनांक 10.05.2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जिसे परिवादी द्वारा ब्यूरों के डिजिटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थीं। उक्त वॉईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर मांग सत्यापन वार्ता की एक मूल एवं दो मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति की सीडी डब कराकर तैयार करवाई गई। फर्द टांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क ''बी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई। समय करीब 8.25 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र मय ब्यूरो टीम के प्राईवेट वाहन से रिश्वत राशि ग्रहण स्थल शिवशक्ति टायर पंचर एवं ग्रीस सर्विस पुलिस थाने के सामने गोवर्धन विलास मैन रोड एवं चुंगीनाका गोवर्धन विलास स्थित सरस डेयरी के सामने मैन रोड आरोपी श्री मनोहरलाल सउनि डिटेन स्थल का नजरी नक्शा घटना स्थल मूर्तिब करने हेतु रवाना होकर समय करीब 9.10 पी.एम. पर दोनों स्थलों का नजरी नक्शा घटना स्थल मूर्तिब कर हाजिर थाना आया। समय करीब 9.20 पीएम पर परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं आरोपी श्री मनोहर लाल सउनि एवं श्री शिवलाल (प्राईवेट व्यकित) के समक्ष परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र एवं आरोपी श्री मनोहर लाल सउनि के मध्य हुई मोबाईल फोन वार्ता एवं परिवादी श्री प्रकाश चंद एवं आरोपी श्री शिवलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के मध्य दिनांक 11.05.2023 को रूबरू हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में स्वतंत्र गवाहानों

आरोपीगणो के समक्ष वॉईस रिकार्डर को चलाकर श्री विनोद कुमार कनिष्ठ सहायक से मुर्तिब करवाया जाना प्रारम्भ किया जाकर समय करीब 9.40 पीएम. पर फर्द ट्रांसकिप्ट समाप्त की गई तथा ब्यूरों के डिजिटल वॉईस रिकार्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता की एक मूल एवं दो मुल्जिम एवं एक आईओ प्रति की सीडी डब कराकर तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसकिप्ट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें गये तथा समस्त सीडीयों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराये तथा मूल सीडी को कपडे की थेली में बंद कर मार्क ''सी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर की गई तथा मोबाईल फोन वार्ता, मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ताओ की रिकॉडिंग हेतु डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त सेनडिक्स 32 जीबी बरंग लाल एवं ग्रे को वजह सबूत डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर से निकालकर कर कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सिलचिट कर चिट पर मार्क ''डी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवायें जाकर सीलबंद मोहर कर वजह सबूत जब्त किया गया। समय करीब 10.10 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री मनोहरलाल सउनि एवं आरोपी श्री शिवलाल (प्राईवेट व्यक्ति) को उसकी आवाज का नमूना एवं स्पष्टीकरण चाहने हेतु पृथक–पृथक तहरीर दी गई तो आरोपियों द्वारा उक्त पत्र की प्रति पर अपनी आवाज नमूना नहीं देने तथा स्पष्टीकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने हेतु अंकित किया गया। पत्र की प्रतियों को गवाह के हस्ताक्षर करा शामिल पत्रावली किया गया। समय करीब 10.30 पीएम पर आरोपी श्री शिवलाल (प्राईवेट व्यक्ति) की जामा तलाशी में प्राप्त एण्ड्रोइट मोबाईल फोन सेमसंग गेलेक्सी ए–22, 5 जी बरंग ओसियन ब्लू को पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर जब्त किया गया एवं विवरण फर्द में अंकित किया गया मोबाईल को सीलबंद किया जाकर संबंधितों हस्ताक्षर करवाये समय करीब 11.00 पीएम पर आरोपी श्री मनोहरलाल स.उ.नि. की जामा तलाशी में प्राप्त एण्ड्रोइट मोबाईल फोन सेमसंग गेलेक्सी ए–50 एस बरंग स्काई ब्लू चमकीला को पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर जब्त किया गया एवं विवरण फर्द में अंकित किया गया मोबाईल को सीलबंद किया जाकर संबंधितों हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत जब्त किया। समय करीब 11.30 पीएम पर से संबधित मोबाईल फोन वार्ता, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन वार्ताओ की मूर्तिब की गयी सिलचिटशुदा मूल सिडीया मार्क ए, बी, सी एवं सिलचिटशुदा मूल मेमोरी कार्ड मार्क डी वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिया जाकर पृथक से फर्द जब्ति मुर्तिब कर फर्द पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाये। दिनांक 12.05.2023 को समय करीब 3.13 एएम तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मनोहरलाल सउनि के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के बताये अनुसार उसकी पत्नी श्रीमति मनीषा को उसके मोबाईल फोन पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। समय करीब 03:23 एएम पर आरोपी श्री शिवलाल (प्राईवेट व्यक्ति) के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 पीसी (संशोधित) एक्ट 2018 एवं 120 बी में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर गिरफ्तारी की सूचना जरिये मोबाईल फोन आरोपी के पिता श्री कन्हैयालाल को दी गई। तत्पश्चात परिवादी को रूकसत दी गई। तत्पश्चात पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर से गिरफ्तारशुदा आरोपी, सीलबंद जब्तशुदा आर्टिकल्स श्री सुरेश कुमार एएसआई, श्री प्रदीप कुमार कानि0, श्री सुरेश कुमार जाट कानि0 एवं श्री भारतसिंह कानि0 को सुपुर्द कर पुलिस थाना गोवर्धन विलास के सरकारी वाहन से कार्यालय में उपस्थित होने तथा मन् पुलिस निरीक्षक, श्री लालसिंह है0का0, श्री दिनेश कुमार कानि0 एवं श्री विनोद कुमार के साथ आरोपी श्री मनोहरलाल के पुलिस लाईन उदयपुर स्थित सरकारी आवास पर पहुँचा तथा खाना तलाशी ली जाकर पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर वहां से रवाना होकर कार्यालय भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर पर पहूँचा तथा मालखाना आर्टिकल प्रभारी मालखाना श्री सुरेश कुमार एएसआई को सुपुर्द कर संबंधित रजिस्टर में ईन्द्राज करने हेतु निर्देशित किया गया। के रवाना होकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपियों का नियमानुसार स्वास्थय परीक्षण करवाया जाकर माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम संख्या 01 उदयपुर पर प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा जेसी आदेशित किया जाने पर आरोपियों को केन्द्रिय कारागार उदयपुर पर जमा करा रसीद प्राप्त की गई। मामलें में

दौरानें रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता में अन्य व्यक्तियों जिनमें एक श्री ओमप्रकाश, श्री पृथ्वीराज एवं आरोपी श्री मनोहरलाल की परिवादी से वार्ता अनुसार 8000 रूपयें पूर्व में लेकर थानाधिकारी को देने की ताईद की गई है जिससे उपर्युक्त सभी की भूमिका भी संदिग्ध होना पाया गया है जिनकी भूमिका पर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

इस प्रकार आरोपी 1 श्री मनोहरलाल पुत्र स्व0 श्री मगनलाल मीणा उम्र 39 वर्ष निवासी रायणा फला ऋषभदेव जिला उदयपुर हाल एएसआई पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर एवं 2 श्री शिवलाल जाट पुत्र श्री कन्हैयालाल जाट उम्र 35 वर्ष निवासी खारा कुई बलीचा पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर द्वारा पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 99/2023 में परिवादी के पिता एवं भाई की मदद कर एफआर देने दलाल श्री शिवलाल के मार्फत ग्रहण करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपियों के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 एवं 120 बी भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विस्तृत अनुसंधान किया जाना उचित होगा।

भवदीय,

(आदर्श कुमार)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों
एसयू उदयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आर्दश कुमार, पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. उदयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री मनोहरलाल, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना गोवर्धन विलास उदयपुर एवं 2. श्री शिवलाल जाट पुत्र श्री कन्हैयालाल, निवासी खारा कुई बलीचा, पुलिस थाना गोवर्धन विलास, उदयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 119/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.5.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस निरीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 897-900 दिनांक 12.5.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., उदयपुर।

12.5.23
पुलिस निरीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।